ग्यारसी देवी बनाम प्रकाश वगै

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रा० पत्र 7R13CPC मु.नं.-106/2021	
3-10-22	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय। वकील प्रार्थीगण जवाब दरख्वास्त 07 R11 (D) CPC हेतु अवसर चाहते हैं। अवसर दिया जाता है। वास्ते पेश होने जवाब दरख्वास्त 07 R 11 (D) CPC पत्रावली दिनांक 07-12-22 को पेश हो। दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	
7-12-22	[illegible]ावली पेश हुई। वकुलाय फरी[illegible] [illegible]/अनुपस्थित। पीठासीन अधिका[illegible] [illegible]रे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग [illegible] है। पत्रावली अग्रिम [illegible] हेतु दिनांक 12-12-22 को पेश हो।	
12.12.2022	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी संपठित धारा 151 सीपीसी पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। वकील प्रार्थीगण/अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 11 व 23 के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी को खारिज की जाती हैं तथा सपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार की जाती हैं तथा इस न्यायालय में विचाराधीन प्रार्थीगण द्वारा दायर प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी व प्रार्थना पत्र स्थगन को खारि[illegible] [illegible] मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से [illegible] किया गया। पत्रावली फैसल शुमा[illegible] दाखिल दफ्तर हो। 12/12/22 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर(सीकर) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.28 12:44:08 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या :– 106/2021   जीसीएमएस नं0 307/2021   निर्णय दिनांक 12.12.2022

उनवान प्रकरण

श्रीमती ग्यारसी देवी पत्नि स्व0 जयचन्द उर्फ कालूराम जाति मीणा निवासी ग्राम कचियागढ़ वार्ड नम्बर 23 श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर। कुल 14 प्रार्थीगण वगैराह ।

वादी/अप्रार्थी

बनाम्

छोटी देवी पत्नि सुखाराम जाति वार्ड नम्बर 22 श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर। वगैराह कुल 30 अप्रार्थीगण।

––प्रतिवादी/प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपस्थितः–

श्री रघुनाथ सिंह, एड0 अप्रार्थी/वादीगण संख्या 1 लगायत 14,

श्री दिनेश कुमार सिंह शेखावत, एड0 प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 11 व 23 आवेदककर्त्ता आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी अभिभाषक।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 उपनियम (क) (घ) जा0 दी0 सपठित धारा 151 सीपीसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.28 12:44:08 IST
Reason: Self-Attested

12/12
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

03

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि श्रीमती ग्यारसी देवी पत्नि स्व0 जयचन्द उर्फ कालूराम जाति मीणा निवासी ग्राम कचियागढ़ वार्ड नम्बर 23 श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर। कुल 14 प्रार्थीगण वगैराह ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का पेश कर रखा है। जिसमें वकील अप्रार्थी गण संख्या 3 लगायत 11 व 23 के द्वारा जरिये अधिवक्ता दिनांक 17/10/2022 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 उपनियम (क) (घ) जा0 दी0 सपठित धारा 151 सीपीसी में वर्णित कथनों को दोहराते हुए अवगत कराया है कि उक्त विचाराधीन उक्त आवेदन आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का माननीय न्यायालय हाजा के आदेश दिनांकित 20.09.2021 मुकदमा संख्या 127/2008 उनवानी प्रकरण छोटी देवी बनाम रामेश्वरी देवी वगैरह वाद पत्र बाबत तकास्मा एंव स्थाई निषेधाज्ञा अपास्त किये जाने बाबत पेश किया, जिसके संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि छोटी देवी वगैरह द्वारा माननीय न्यायालय हाजा में राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 682, 683, 684, 685, 686, 688, 689 कुल किता 7 कुल रकबा 4.49 है0 के तकास्मा बाबत वर्ष 2008 में पेश किया, जिसमें माननीय न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 19.02.2013 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव चाहे गये, जिसकी पालना में श्रीमाधोपुर तहसीलदार द्वारा दिनांक 17.06.2021 को पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुरेजात रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस अलग–अलग मिन बट्टा नम्बर अंकित करते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 20.09.2021 को उपरोक्त खसरा नम्बरान का पक्षकारान में विधिक विभाजन करने बाबत प्रकरण को डिक्री किया गया था जो पक्षकार जिस स्थान पर काबिज काश्तकार था, उसी स्थान पर उसके हिस्से की भूमि बंटवारे में मिली, सभी पक्षकारों को आवागमन हेतु रास्तें का निर्धारण किया गया था, जिसे सभी पक्षकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.28 12:44:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

12/12/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

खातेदार काम में ले रहे हैं व अपने –अपने हिस्से / बंटवारे में आयी भूमियों पर मेड बनाकर काश्त कर काबिज है। निर्णय व डिक्री दिनांक 20.09.2021 को सभी खातेदारी पक्षकारों ने स्वीकार कर अपने खातेदारी अधिकारों का उपयोग–उपभोग कर रहे है तथा आलोच्चय निर्णय व डिक्री दिनांक 20.09.2021 की राजस्व रिकार्ड मे व मौके पर पालना हो चुकी है। उक्त प्रकरण के आवेदकगण / प्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 ग्यारसी देवी से मनोहरलाल तक का उक्त भूमियों मे विधिक विभाजन में भूमि खसरा नम्बर 689 / 1 रकबा 0.1494 है0 व खसरा नम्बर 689 / 3 रकबा 1.0766 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.2260 है0 अन्य सहखातेदारान के साथ में उपरोक्त दोनो खसरा नम्बर 689 / 1, 689 / 3 का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी उपरोक्त खसरा नम्बर की राजस्व रिकार्ड में अन्य सहाकाश्तकारान के साथ्रा दर्ज की गई तथा उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण / आवेदकगण संख्या 8ता 14 मु0 मोहनी देवी से लाला राम तक का उक्त भूमियों खसरा नम्बर 686 / 2 रकबा 0.0670 है0, खसरा नम्बर 686 / 5 रकबा 0.2835 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3505 है0 अन्य सहकाश्तकारान के साथ उपरोक्त दोनो खसरा नम्बर 686 / 2, 685 / 5 का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उपरोक्त खसरा नम्बर की राजस्व रिकार्ड में अन्य सहकाश्तकारान के साथ दर्ज की गई। प्रार्थीगण / आवेदकगण संख्या 1 ता 7 के द्वारा माननीय न्यायालय हाजा में विचाराधीन उक्त आवेदन आदेश 9 नियम 13 सीपीसी में जिन खसरा नम्बर 689 / 1, 289 / 3 के खातेदार, काश्तकार घोषित किये जाकर राजस्व रिकार्ड में वर्तमान में चल रही है तथा खातेदारी में सहकाश्तकारान के रूप में अन्य खातेदार ओर है, उनसे विधिक तकास्मा करवाने हेतु उक्त प्रकरण आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के आवेदकगण संख्या 1 ता 7 द्वारा माननीय न्यायालय हाजा के द्वारा पूर्व में बंटवारा दावा संख्या 127 / 2008 उनवानी छोटी देवी बनाम रामेश्वरी देवी वगैरह के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.09.2021 को स्वीकार व आत्मसात करते हुये निर्णय व डिक्री दिनांक [illegible] में अपने हिस्से में आयी भूमियों खसरा नम्बर 689 / 1 (नये [illegible]) [illegible] पुनः बंटवारा का दावा माननीय न्यायालय हाजा में उनवानी [illegible] हिरलाल बनाम श्रवण कुमार वगैरह मुकदमा संख्या 117 / 2022 पेश किया, जिसमें अन्य खातेदारान

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

1/12/22

दिलीप सिंह

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.28 12:44:08 IST
Reason: SelfAttested

सहाकाश्तकारान ने जिस प्रकार से मौके पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग कर रहे है, उन्होने अपना जवाब पेश करके विधिक विभाजन चाहा है। इसलिये माननीय न्यायालय हाजा में विचाराधीन हस्तगत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रभावहीन हो चुका है। इसलिये खारिज किये जाने योग्य हैं। उक्त प्रकरण के प्रार्थीगण/आवेदकगण संख्या 8 ता 14 के द्वारा माननीय न्यायालय हाजा में विचाराधीन उक्त आवेदन आदेश 9 नियम 13 सीपीसी में जिन खसरा नम्बर 686/2, 686/5 के खातेदार घोषित किये जाकर राजस्व रिकार्ड में वर्तमान मे चल रही खातेदारी की भूमि को प्रतिफल राशि तकय करके दिनांक 01.08.2022 को अन्य सहकाश्तकारान के साथ अपनी संपूर्ण भूमि का रजिस्टर्ड विकय लेख दीगर व्यक्तियों से प्रतिफल राशि लेकर बेचान कर दिया है तथा उक्त खसरा नमबर का बेचान का विकय लेख उपपंजीयक श्रीमाधोपुर के यहां दिनांक 01.02.2022 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 690 मे पृष्ठ संख्या 200 कम संख्या 202203498103432 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1760 के पृष्ठ संख्या 479 से 488 पर चस्पा किया गया हैं, जिसकी खातेदारी राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज होकर नामांतकरण संख्या 2490 से उक्त प्रकरण के प्रार्थीगण संख्या 8 ता 14 का राजस्व रिकार्ड से नाम हटाया जाकर इनके स्थान पर कता सुनिता परवाला व सीमा अग्रवाल खातेदार काष्तकार के रूप में जमाबंदी में दर्ज हो चुके है, इसलिये माननीय न्यायालय हाजा में विचाराधीन आदेश आदेश 9 नियम 13 सीपीसी प्रभावहीन हो चुकी है, इसलिये खारिज किये जाने योग्य हैं। उक्त प्रकरण आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के आवेदकगण/प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय हाजा द्वारा दावा संख्या 127/2008 उनवानी छोटी देवी बनाम रामेश्वरी देवी वगैरह निर्णय दिनांक 20.09.2021 को जो डिक्री पारित की गई, उसकी पालना राजस्व रिकार्ड में होकर उसको सही रूप में स्वीकार व आत्मसात कर हस्तगत प्रकरण आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के प्रार्थीगण ने खातेदारी से अपने अधिकार [illegible] उनकी खातेदारी में विधिक विभाजन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी। साथ [illegible] अन्य पक्षकारान जो अप्रार्थीगण के रूप में है, उन्होंने भी उक्त [illegible] बेचान का दस्तावेज पंजीबद्ध करवा कर राजस्व रिकार्ड मे खरीद करने वाले खातेदार के रूप मे दर्ज हो चुके है।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.28 12:44:08 IST
Reason: SelfAttested

12/12/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय हाजा में विचाराधीन उक्त आवेदन आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का वाद हैतुक शेष नही रहने तथा प्रार्थीगण द्वारा किये गये उपरोक्त कृत्यों के कारण उक्त आवेदन विधि द्वारा वर्जित आवेदनों की श्रेणी में आने के कारण माननीय न्यायालय हाजा से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी प्रार्थीगण / आवेदकगण नही रहे है इसलिये आवेदकगण का उक्त आवेदन आदेश 9 नियम 13 सीपीसी **INFRUCTUOUS** (प्रभावहीन / निष्फल) हो चुका है तथा खारिज किये जाने योग्य है। हस्तगत प्रकरण आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के आवेदकगण द्वारा किये गये विधिक कृत्यों के कारण आवेदकगण अपने कथनों से विबंधन के सिद्धांत के आधार पर **(Estoppel)** स्टोप्ड / विबंधित है तथा माननीय न्यायालय हाजा में विचाराधीन प्रकरण आदेश 9 नियम 13 सीपीसी में आगे विधिक कार्यवाही किया जाना न्यायोचित व आवश्यक नही होने के कारण आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी संपठित 151 सीपीसी को स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा में विचाराधीन उक्त आवेदन प्रार्थना पत्र संख्या 106 / 2021 अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी को खारिज फरमाने जाने का निवेदन अपनी बहस में किया हैं।

उक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 उपनियम (क) (घ) जा0 दी0 सपठित धारा 151 सीपीसी की नकल वकील वादी / अप्रार्थी को दिलाई जाने पर वकील वादी / अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र का जवाब दरख्वास्त पेश नहीं कर सीधे ही बहस सुने जाने हेतु अपनी सहमति जाहिर करते हुए अवगत कराया की उनके द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा मुकदमा संख्या 127 / 2008 उनवानी छोटी देवी बनाम रामेश्वरी देवी वगैरह दावा बाबत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा में पारित एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 20.09.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी संपठित धारा 151 सीपीसी को न्यायालय में पेश किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र के शीर्षक में अंकित प्रार्थीगण मे से प्रार्थी संख्या 7 मनोहरलाल पुत्र लालूराम [illegible] चौकीदार निवासी श्रीमाधोपुर जिला सीकर द्वारा एक अन्य [illegible] न्यायालय में पूर्व मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.09.2021 की पालना में विधिक विभाजन उपरांत बने नये

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.28 12:44:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

12/12/22

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

नम्बरो में विरूद्ध प्रतिवादीगण कुल संख्या 9 के विरूद्ध एक वादपत्र संख्या 117/2022 उनवानी मनोहरलाल बनाम श्रवण कुमार वगै0 दावा बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी के विचाराधीन रहते नये सिरे से वादपत्र न्यायालय में पेश किया जा चुका है जिसमें उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी में अंकित अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 की ओर से प्रस्तुत नये वादपत्र को स्वीकार करते हुए वादी मनोहरलाल के पक्ष में इकबाली जवाब दावा दिनांक 19.09.2022 को न्यायालय में पेश किया जा चुका है, अतः वकील प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन वकील अप्रार्थी/वादी द्वारा अपनी बहस में किया हैं।

हमने बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् ध्यानपूर्वक सुनी। बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजात् व पूर्व में पारित निर्णय व डिक्री उनवानी प्रकरण छोटी देवी बनाम रामेश्वरी देवी व विचाराधीन नवीन वाद मनोहरलाल बनाम श्रवण कुमार वगै0 में मुकदमा संख्या 117/2022 का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण से संबंधित पूर्व वाद संख्या 127/2008 उनवानी छोटी देवी बनाम रामेश्वरी देवी में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.09.2021 में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव के आधार पर वादपत्र के बंटवारे से संबंधित होने से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर डिक्री पारित की गई थी। जिसका जरिये नामांतकरण संख्या 2292 दिनांक 28.09.2021 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामंद हो चुका हैं। उक्त पारित एकपक्षीय निर्णय व डिक्री से व्यथीत होकर प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश किया जाना प्रकट होता हैं। वही उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी संख्या 7 मनोहरलाल पुत्र लालु जाति मीणा चौकीदार निवासी श्रीमाधोपुर जिला सीकर के द्वारा पूर्व वाद संख्या 127/2008 में पारित निर्णय की पालना में विभाजन प्रस्ताव में अंकित नवीन खसरा नम्बरान में से खसरा नम्बर 2904/689

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.28 12:14:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

12/12/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

(7)

2906/689 कुल किता 2 कुल रकबा 1.2260 है0 अवस्थित तन ग्राम श्रीमाधोपुर जिला सीकर का पक्षकारान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के मध्य मौके के बाहमी बंटवारा व हक हिस्सा खातेदारी में दर्ज अनुसार विधिक विभाजन चाहने हेतु नवीन वाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता हैं। जिसमें प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी में अंकित प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 के द्वारा नवीन वादपत्र को स्वीकार करते हुए वादी मनोहरलाल के पक्ष में इकबाली जवाब दावा दिनांक 19.09.2022 को न्यायालय में पेश किया जाना प्रकट होता हैं तथा उक्त प्रार्थना पत्र में शेष प्रार्थीगण संख्या 8 लगायत 14 एवं पक्षकार हनुमान के शेष वारिसान अप्रार्थीगण संख्या 26 लगायत 28 समस्त जाति माली निवासीगण श्रीमाधोपुर के द्वारा भूमि खसरा नम्बर 2892/686 व 2895/686 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3505 है0 संपूर्ण भूमि का विक्रय केतागण श्रीमती सीमा अग्रवाल पत्नि विजय अग्रवाल जाति महाजन निवासी मंगल कॉलोनी वार्ड नं. 7 श्रीमाधोपुर तथा श्रीमति सुनीता परवाल पत्नि महेश परवाल जाति महाजन निवासी बी 34 नारायण विहार, नारायण गांव, दक्षिण–पश्चिम दिल्ली के पक्ष मे जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 01.08.2022 के द्वारा विक्रय लेख तस्दीक होकर जरिये नामांतकरण संख्या 2490 दिनांक 08.08.2022 के द्वारा उक्त विक्रेतागण की खातेदारी हजफ की जाकर केतागण के नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुकी हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी में वर्णित प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 के द्वारा नवीन वादपत्र संख्या 117/2022 को विभाजन हेतु स्वीकार कर लिये जाने तथा शेष प्रार्थीगण संख्या 8 लगायत 14 व अप्रार्थीगण संख्या 26 लगायत 28 के द्वारा अपने नाम दर्ज खातेदारी भूमियों का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख से कर दिये जाने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी संपठित धारा 151 सीपीसी को आगे चलाया जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होता हैं।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.28 12:44:08 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर